

राइट-टू-रपियर

प्रलिस के लिये:

राइट-टू-रपियर, ई-कचरा, मरम्मत के अधिकार पर समिति

मेन्स के लिये:

ई-कचरे का पर्यावरणीय प्रभाव, मरम्मत के अधिकार का दायरा, बढ़ती एकाधिकार वाली कंपनियों का मुकाबला कैसे करें, सरकार की पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामलों के विभाग ने घोषणा की कि उसने 'राइट-टू-रपियर' पर व्यापक ढाँचा विकसित करने के लिये अतिरिक्त सचिवी नधि खरे की अध्यक्षता में समिति का गठन किया है।

राइट-टू-रपियर:

परचिय:

- 'राइट-टू-रपियर' एक ऐसे अधिकार अथवा कानून को संदर्भित करता है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को अपने स्वयं के उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करना और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देना है, जहाँ अन्यथा ऐसे उपकरणों के निर्माता उपभोक्ताओं को केवल उनके द्वारा प्रस्तुत सेवाओं के उपयोग करने की अनुमति देते हैं।
- जब ग्राहक कोई उत्पाद खरीदते हैं, तो यह स्वाभाविक है कि उनके पास उस वस्तु पर पूर्ण स्वामित्व हो जाता है, जिसके लिये उपभोक्ताओं को मरम्मत हेतु निर्माताओं द्वारा आसानी से और उचित लागत पर उत्पाद की मरम्मत और संशोधन करने में सक्षम होना चाहिये।
- 'राइट-टू-रपियर' का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ था, जहाँ 'मोटर व्हीकल ओनर्स राइट-टू-रपियर एक्ट, 2012' किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिये वाहन निर्माताओं के लिये सभी आवश्यक दस्तावेज़ और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है।

प्रस्तावति ढाँचा:

- इस नियामक ढाँचे के तहत निर्माताओं के लिये अपने उत्पाद वविरण को ग्राहकों के साथ साझा करना अनिवार्य होगा ताकि वे मूल निर्माताओं पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं या तीसरे पक्ष द्वारा उनकी मरम्मत करा सकें।
- कानून का उद्देश्य मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) और तीसरे पक्ष के खरीदारों तथा विक्रेताओं के बीच व्यापार में सामंजस्य स्थापित करने में मदद करना है, साथ ही इस प्रकार नए रोज़गार का सृजन भी करना है।

वैश्विक स्थिति:

- अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ सहित दुनिया भर के कई देशों में मरम्मत के अधिकार को मान्यता दी गई है।
- अमेरिका में संघीय व्यापार आयोग ने निर्माताओं को अनुचित प्रतिस्पर्द्धा-वरोधी प्रथाओं को दूर करने का निर्देश दिया है और उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिये कहा है कि उपभोक्ता स्वयं या किसी तीसरे पक्ष की एजेंसी द्वारा मरम्मत करा सकें।

संभावति लाभ:

- यह छोटी मरम्मत की दुकानों के लिये व्यापार को बढ़ावा देने में मदद करेगा, जो स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
- यह इलेक्ट्रॉनिक कचरे (e-waste) के विशाल ढेर को कम करने में मदद करेगा।
- इससे उपभोक्ताओं का पैसा बचेगा।
- यह उपकरणों के जीवन काल, रखरखाव, पुनः उपयोग, उन्नयन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार करके चक्रीय अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों में योगदान देगा।

कार्यान्वयन हेतु प्रस्तावति क्षेत्तर:

- कृषि उपकरण
- मोबाइल फोन/टैबलेट

- उपभोक्ता के लिये टिकाऊ वस्तुएँ
- ऑटोमोबाइल/ऑटोमोबाइल उपकरण

राइट-टू-रपियर की आवश्यकता:

- आमतौर पर नरिमाता अपने डिज़ाइन सहित स्पेयर पार्ट्स पर मालिकाना नियंत्रण बनाए रखते हैं, रपियर प्रक्रियाओं पर इस तरह का एकाधिकार ग्राहक के "चुनने के अधिकार" का उल्लंघन करता है।
- कई उत्पादों के वारंटी कार्ड में उल्लेख किया जाता है कि गैर-मान्यता प्राप्त संगठनों रपियर कराने की स्थिति में ग्राहक वारंटी लाभ से वंचित हो जाएंगे।
- कंपनियाँ मैनुअल के प्रकाशन से भी बचती हैं जो उपयोगकर्ताओं को आसानी से रपियर करने में मदद कर सकती हैं।
- तकनीकी सेवा/उत्पाद कंपनियाँ मैनुअल, स्कीमैटिक्स और सॉफ्टवेयर अपडेट के लिये पूर्ण ज्ञान एवं पहुँच प्रदान नहीं करती हैं।
- नरिमाता "नियोजित अप्रचलन" की संस्कृति को प्रोत्साहित कर रहे हैं।
 - यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके तहत किसी भी गैजेट का डिज़ाइन ऐसा होता है कि वह एक विशेष समय तक ही रहता है और उस विशेष अवधि के बाद उसे अनविरय रूप से बदलना पड़ता है।
 - एक उत्पाद जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है या नियोजित अप्रचलन के अंतर्गत आता है अर्थात्।
 - कृत्रिम रूप से सीमिति उपयोगी जीवन वाले उत्पाद को डिज़ाइन करना
 - न केवल ई-कचरा बन जाता है बल्कि उपभोक्ताओं को किसी मरम्मत के अभाव में नए उत्पाद खरीदने के लिए मजबूर करता है ताकि इसका पुनः उपयोग किया जा सके।
 - एक उत्पाद जिसकी मरम्मत नहीं की जा सकती है या नियोजित अप्रचलन के तहत आता है यानी कृत्रिम रूप से सीमिति उजीवनकाल के लिये उपयोगी उत्पाद को डिज़ाइन करना न केवल ई-कचरा को बढ़ाएगा बल्कि उपभोक्ताओं को रपियर करने की अपेक्षा नए उत्पाद खरीदने के लिये मजबूर करेगा।
- भारत ने हाल ही में LIFE आंदोलन (पर्यावरण के लिये जीवन शैली) की अवधारणा शुरू की है।
 - इसमें विभिन्न उपभोक्ता उत्पादों के पुनः उपयोग और पुनर्रचकरण की अवधारणा शामिल है।
 - राइट-टू-रपियर, लाइफ मूवमेंट के तहत लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेगा।

आगे की राह

- नैदानिक उपकरणों सहित सेवा संबंधी उपकरणों को व्यक्तियों सहित तीसरे पक्ष को उपलब्ध कराए जाने चाहिये ताकि भामूली गड़बड़ियों के मामले में उत्पाद की रपियरिंग की जा सके।
 - 'राइट-टू-रपियर' कानून भारत जैसे देश में विशेष रूप से मूल्यवान हो सकता है, जहाँ सेवा नेटवर्क अक्सर असमान (Spotty) होते हैं और अधिकृत कार्यशालाएँ कम होने के साथ ही दूर के इलाकों में होती हैं।
 - भारत में अनौपचारिक रपियरिंग क्षेत्र की स्थिति भिन्न है।
 - लेकिन अगर इस तरह के कानून को अपनाया जाता है तो मरम्मत और रखरखाव सेवाओं की गुणवत्ता में काफी सुधार हो सकता है।

स्रोत: द हद्दि